संख्या-17/2019/320/कनिप्र/26-3-2019-19(20)/2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 8 मार्च, 2019
समाज कल्याण विभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 मे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1148-49/ स.क./विकास/(एकीकृत)/वि0यो0-सिद्धार्थनगर/31/2018-19 दिनांक 27 अगस्त, 2018,पत्रांक-2194-95/स.क./विकास/33/सबप्लान-सिद्धार्थनगर/2017-18 दिनांक 30 जनवरी,2018, पत्रांक-2515-16/स.क./विकास/सिद्धार्थनगर(एकीकृत)/ (102)/ 2018-19 दिनांक 01 फरवरी,2019 एवं पत्रांक-2505-06/स.क./विकास/ सिद्धार्थनगर (एकीकृत)/(103)/2018-19 दिनांक 31-01-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के निम्न विवरण के अनुसार उल्लिखित विकास खण्ड एवं गांवों में कराये जाने वाले कार्यो हेतु कुल परियोजना लागत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0 941.08 (रू0 नौ करोड़ इकतालिस लाख आठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना लागत के सापेक्ष रू0 32.00 (रू0 बत्तीस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

जनपद- सिद्धार्थनगर।				
विकास खण्ड का नाम	**ग्राम का नाम**	**कार्य का नाम**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**स्वीकृत की जा रही धनराशि**
1	2	3	4	5
जोगिया	**भैसहवां**	**इंटरलाकिंग ररोड, नाली निर्माण कार्य।**	**59.39**	**4.00**
शोहरतगढ़	**अकरा**	**इंटरलाकिंग ररोड, नाली निर्माण कार्य।**	**87.58**	**4.00**
	छतहरा	**इंटरलाकिंग ररोड, नाली निर्माण कार्य।**	**83.56**	**4.00**
	सियांव नानकर	**इंटरलाकिंग ररोड, नाली निर्माण कार्य।**	**305.40**	**4.00**
	कोईरीडीहा	**इंटरलाकिंग ररोड, नाली निर्माण कार्य।**	**85.75**	**4.00**
	महथा	**इंटरलाकिंग ररोड, नाली निर्माण कार्य।**	**13.36**	**4.00**
	दहियाड़	**इंटरलाकिंग ररोड, नाली निर्माण कार्य।**	**264.38**	**4.00**
	बूड़ापार	**इंटरलाकिंग ररोड, नाली निर्माण कार्य।**	**41.66**	**4.00**
		योग-	**941.08**	**32.00**

(रू0 बत्तीस लाख मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित /अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यदायी संस्था यू.पी. स्टेट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) कांसट्राक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) से कार्य कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू.पी. स्टेट कांसट्राक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) से शीघ्र एम.ओ.यू. अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को औपचारिकताएं पूर्ण कराकर उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा अति-अल्पकालीन निविदा कराकर प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष कार्यो को पूर्ण कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र निदेशक समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-664/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/ 2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(5) जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन के आधार पर कार्यदायी संस्था से कार्य कराया जायेगा जिसे लोक निर्माण विभाग के शासनादेश में प्राविधाननुसार व्यय देय होगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(7) संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(8) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं के कार्य स्वीकृत परियोजना लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायेगें और भविष्य में इनका पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं की लागत मे सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र (कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि सहित)जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) सिद्धार्थनगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास(के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

<u>पृ0संख्या-17/2019/320(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

3- कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त नियन्त्रक, समाज कल्याण निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), सिद्धार्थनगर।

6- अधिशासी अभियन्ता, यू.पी. सिडको, सिद्धार्थनगर।

7- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. सिडको, लखनऊ।

8- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।